

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या— 2071 / 2014 / जोधपुर

मैसर्स मिस क्राफ्ट्स,
प्लॉट नं० 7, गली नं. 6, कृष्णा धर्म कांटा के पास,
जोधपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड तृतीय, वृत्त-सी, जोधपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.पी.व्यास, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा

उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 23 / 04 / 2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे "अपीलार्थी" कहा जायेगा) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी— प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 3/आरवैट/जेयूबी/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2014 के विरुद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा अपीलीय प्राधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त-सी, जोधपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2006 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23/24 के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 हेतु पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.02.2014 में आरोपित विलम्ब शुल्क रुपये 4000/- की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म हैण्डिक्राफ्ट माल का व्यवसाय करती है, उसके द्वारा वार्षिक विवरण पत्र वैट 10ए प्रस्तुत कर रुपये 99400/- की कर मुक्त बिक्री घोषित की गई है। नियम 19(4) में वर्णित व्यवसायों को छोड़कर अन्य पंजीकृत व्यवसायों के लिए त्रैमासिक विवरण पत्र वैट 10 व वार्षिक विवरण पत्र वैट 10ए प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। अपीलार्थी द्वारा विक्रीत माल हैण्डिक्राफ्ट गुड्स यद्यपि करमुक्त है, परन्तु हैण्डिक्राफ्ट निर्माण

38


निरन्तर.....2

में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल कर योग्य है। इस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी का त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करने का दायित्व मानते हुए विलम्ब शुल्क आरोपित किया है। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलीय आदेश दिनांक 12.09.2014 द्वारा अस्वीकार करते हुए आरोपित विलम्ब शुल्क की पुष्टि की गई है। उक्त अपीलीय आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के सम्मुख पेश की गई है।

3. अपीलार्थी की ओर से बहस प्रारम्भ करते हुए विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलार्थी की समस्त बिक्री कर मुक्त होने के कारण उसके द्वारा वार्षिक विवरण पत्र फॉर्म वैट 11 में प्रस्तुत करने का दायित्व था, परन्तु त्रुटिवश उसने वार्षिक विवरण पत्र फॉर्म वैट 10ए में प्रस्तुत कर दिया जिसमें व्यवहारी का वर्ष 2011-12 का सम्पूर्ण टर्नओवर दर्शित है। उन्होंने आरोपित विलम्ब शुल्क को अनुचित बतलाते हुए इसे अपास्त कर प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।
4. प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रय किया गया कच्चा माल कर योग्य है अतः नियम 19 की अनुपालना में त्रैमासिक विवरण पत्र वैट 10 तथा वार्षिक विवरण पत्र वैट 10ए प्रस्तुत करने का ही दायित्व है। अतः विलम्ब शुल्क की नियमानुसार पुनर्गणना करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित करने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः उन्होंने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु वार्षिक विवरण पत्र वैट 10ए प्रस्तुत किया गया है परन्तु त्रैमासिक विवरण पत्र वैट 10 प्रस्तुत नहीं किये गये। अपीलीय अधिकारी ने नियम 19 को उल्लिखित करते हुए यह निर्णीत किया है कि अपीलार्थी का आलोच्य अवधि में त्रैमासिक कर दायित्व तथा त्रैमासिक एवं वार्षिक विवरण पत्र पेश करने का दायित्व है परन्तु कर निर्धारण तिथि तक त्रैमासिक विवरण पत्र पेश नहीं किये गये थे जिसके कारण उन्होंने नियम 19ए (iii) के अनुसार विलम्ब शुल्क अधिकतम रुपये 5000/- प्रति तिमाही होना निर्धारित किया है तथा प्रकरण को उपरोक्तानुसार विलम्ब शुल्क निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।



6. नियम 19(4) के अनुसार बिक्री विवरण पत्र फार्म वैट 11 में प्रस्तुत करने का दायित्व यथानिर्दिष्ट अन्य कुछ श्रेणियों के व्यवहारियों के अलावा ऐसे व्यवहारियों का भी होता है जो कि पूर्णतः करमुक्त माल में व्यवहार करते हों (who exclusively deals in goods which are exempted under the Act)। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी यद्यपि बिक्री तो करमुक्त माल 'हैण्डीक्राफ्ट गुड्स' की करता है परन्तु इसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में वह कर योग्य माल का उपयोग करता है, अतः अपीलार्थी का प्रकरण नियम 19(4)(b)(i) से आच्छादित नहीं होने के कारण उसका दायित्व त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रस्तुत करने का है। जहां तक अपीलीय आदेश में विलम्ब शुल्क की गणना नियम 19A(iii) के अनुसार करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि राजस्थान कर बोर्ड की वृहदपीठ द्वारा सुनील एण्ड ब्रदर्स बनाम सीटीओ अपील संख्या 1063/2015/टोंक के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 07.03.2018 में यह विधि स्थापित की गई है कि वर्ष 2011-12 में रिटर्न प्रस्तुत नहीं होने की दशा में नियम 19ए के अंतर्गत विलम्ब शुल्क आरोपण नहीं किया जा सकता है, अपितु दिनांक 15.04.2011 से 31.07.2014 के बीच की अवधि में यथानिर्दिष्ट रिटर्न प्रस्तुत नहीं होने की दशा में धारा 64 के अंतर्गत शास्ति आरोपित की जा सकेगी।
7. परिणामस्वरूप अपीलीय आदेश में दिये गये प्रतिप्रेषण निर्देशों को अपास्त करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान कर बोर्ड की वृहदपीठ द्वारा अपील संख्या 1063/2015/टोंक निर्णय दिनांक 07.03.2018 में स्थापित विधि के अनुसार अप्रस्तुत रिटर्न्स के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर विधिसम्मत आदेश पारित करे।
8. फलतः अपीलीय आदेश को इस सीमा तक अपास्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने की पुष्टि की जाती है तथा अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।
9. निर्णय सुनाया गया।



23.04.2018
(ओमकार सिंह आशिया)

सदस्य